श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सिक्योरिटी फोर्सेज की जितनी- जितनी अपने पास अवेलेबिलिटी होती है जितनी आवश्यकता होती है उस अनुसार करते हैं। लेकिन इसमें मैं स्वीकार करूंगा कि आज देश में जितनी आवश्यकता पड़ती हैं प्रदेशों में, या फिर चुनाव होते हैं चुनावों के लिए, उन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे पास अपर्याप्त है। लेकिन जितनी भी अपने पास होती है उसका आप्टिमम डिप्लौयमेंट करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं।

श्री प्रेम गुप्ता : मान्यवर, सवाल तो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का हैं लेकिन क्योंकि आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं तो यह इश्यू डिस्कम हुआ है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर के ऊपर में जिन नक्सलियों ने हमला किया और उनकी जान को खतरा पहुंचाया उसी नक्सली आउटफिट ने बिहार में मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को थ्रेट किया है। इस संदर्भ में एक लेटर 20-25 एम.पी.ज. ने हम लोगों ने दस्तसखत करके माननीय उप प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। इनमें दस्तखत करूंगा और जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है और बिहार चीफ मिनिस्टर की और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी कवर जैसा रिक्वेंस्ट की गई है वैसी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसका भी एक्जामिनेशन किया जा रहा है और जो भी आवश्यकता होगी वह पूरी की जाएगी।

Guidelines by Power Grid Corporation

*130. SHRIMATI BIMBA RAIKAR : Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the power Grid Corporation of India has drawn up guidelines for the States overdrawing their requirements of power when the system frequency is less than 49 htz.;

(b) whether there is any provision to penalize erring States causing grid collapse; and

(c) whether the guidelines will prove a deterrent against overdrawal and ensure grid discipline?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Central Elecrticity Regulatory Commission (CERC) has apprpved the Indian Electricity Grid Code (IEGC) *vide* its order dated 30th October, 1999 According, IEGC was issued by Central Transmission Utility *i.e.*

POWERGRID in discharge of its statutory duties which came into effect from 1 st February, 2000. The lEGC lays down the rules, guidelines and standards to be followed by the various constituents in the system to plan, develop, maintain and operate the power system in the most efficient reliable and economic manner. According to the provisions of lEGC, all regional constituents should make all possible efforts to ensure that the grid frequency always remains within the 49.0 to 50.5 Hz. Band. Further, when the frequency falls below 49.0 Hz. requisite load shedding (manual) will be carried out be the Utilities to curtail overdrawal.

(b) and (c) Yes, Sir. There are provisions in both the lEGC as well in the Electricity Act, 2003 for issuing directions as well as for levying penalty on utilities to enforce grid discipline. Further, the Availability Based Tariff (ABT) regime also provides commercial deterrent against overdrawal by the utilities.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR : Sir, I am happy with reply. Karnataka is following the lEGC Grid Code. But as there is shortage of electricity power in Karnataka due to less rains, the hydel generation is affected, so, I would like to know from the Minister whether the Centre would provide necessary clearance and funds for setting up a Super Thermal Power Station at Mangalore.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं माननीयय सदस्या को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उत्तर के बारे में यहां संतोष प्रकट किया है, उन्होंने जो सहयोग की मांग की है यदि राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई मांग आती है तो निश्चित रूप से भारत सरकार से पूरा सहयोग किया जायेगा।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, I now put the supplementary question, Karnataka being one of the leading States to bring reforms in the power sector, would the Centre also consider allotment of additional quota from the National Grid? Sir, I would also like to ask the hon. Minister one more thing. The Kaira Atomic Power Plant was set up with huge investment. I would like to know whether the Centre would ensure adequate power back up to Karnataka from Kaira.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभीपति जी, सेंट्रल सैंक्टर से जितनी भी बिजली का निर्माण किया जाता है उसका वितरण राज्यों को किया जाता है और उस परिमाण में जो भी कर्णाटक को देना है वह निश्चित रूप से दिया जा रहा है। उसकेसाथ-साथ उत्तरी राज्य में जो हमारे पास कुछ सरप्लस

बिजली है इसीलिए हम उड़ीसा से, तालचर से कोलार बिजली ले जाते हैं । जो चार सदर्न स्टेट हैं उनको तालचर से बिजली सप्लाई की जाती है । कर्णाटक को निश्चित रूप में जो उसका कोटा है वह दिया जाता है और उसके साथ-साथ एडीशनल भी देने के लिए प्रयास किया जाता है । ...(व्यवधान) ।

श्री राजीव शुक्ल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर साल उत्तरी भारत में नार्थ इंडिया की जो पावर ग्रिड है वह फेल हो जाती है और उसकी वजह से सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? दूसरी बात ट्रांसमीशन लॉस जो फिफ्टी परसेंट तक पहुंच गया है उसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, पिछले साल नार्थ ईस्टर्न कोलेप्स हो गई थी जिसके मुख्य कारण हैवी फॉग और पाल्युशन थें । इस साल पावर ग्रिड ने उसकी तरफ ध्यान दिया है, सतर्कता बरती है और जो अफेक्टिड स्टेट हैं, उनके जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं, उन्होंने भी इसकी तरफ अधिक ध्यान दिया है । इसलिए इस वर्ष नार्दर्न ग्रिड में कोई कोलेप्स नहीं हुआ है । भविष्य में इसकी तरफ और ध्यान दिया जायेगा । ट्रांसमीशन लॉस आज देश भर में तीस से चालीस प्रतिशत है । उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है और उसे कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से एपीडीआरपी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत जो खामियां वितरण के क्षेत्र में हैं, उन्हें कम करने के लिए धन सहायता की जा रही है । ...(व्यवधान) ...

प्रो. अलका क्षत्रिय : धन्यवाद सभापति महोदय । मेरा प्रश्न "ख"और "ग" से संबंधित है । पिछले तीन साल में ज्यादा विद्युत लेने वाले और ग्रिड विफल करने वाले कौन से दोषी राज्य हैं ? अगर हैं तो वे कौन-कौन से राज्य हैं और उन पर कितना दंड लगाया है तथा वह वसूला गया है या नहीं ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, पिछले वर्ष जो पांच घटनाएं हुई, उसमें से चार घटनाएं वेस्टर्न ग्रिड में हुई हैं । उसके जो मुख्य कारण हैं, वे ओवर ड्रावल हैं । एक राज्य को ग्रिड कोड के तहत इसके लिए दंडित किया गया है । उस पर एक लाख रुपये का दंड लगाया गया था और वह मध्य प्रदेश है ।

*131. [The questioner (SHRI EDUARDO FALEIRO) was absent. For answer *vide* page 37—38 *infra.]*

*132. [The questioner (SHRI V. NARAYANASAMY) was absent. For answer *vide* page 38—39 *infra.]*